

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 18/11/16

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य में द्रुत कार्य बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की राज्य में प्रतिनियुक्ति में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय से प्राप्त पत्रांक-1194/वित्त, दिनांक 16.08.2015 के आलोक में केन्द्रीय सुरक्षा बल संगठन के त्रैमासिक मांग, सीमा सुरक्षा बल, अन्य राज्यों के प्रतिनियुक्त पुलिस तथा बिहार विधान सभा चुनाव में उपयोग में लाये गये हेलीकॉप्टर/चाटर्ड विमान आदि पर व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-3664, दिनांक 27.05.2015, पत्रांक-4872, दिनांक 13.07.2015, पत्रांक-6943, दिनांक 23.09.2015 एवं पत्रांक-11, दिनांक 28.09.2015 द्वारा पूर्व आवंटित राशि के निम्नांकित रूप से ₹ 300,00,00,000.00 (तीन सौ करोड़ रुपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है :-

क्र0	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1.	28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	₹ 164,52,46,000	₹ 300,00,00,000	₹ 464,52,46,000

2. उपर्युक्त राशि का आवंटन चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना की मांग सं0-22 मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0009-प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय, विषय शीर्ष 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं एवं विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना अंतर्गत सभी व्यय के लिए वित्त विभाग के पत्रांक-5294/वि0(2) दिनांक 17.06.2015 द्वारा प्रावधानित चौमाही प्रतिशत बंधेज को शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त/प्रतिनियुक्त कर्मों को ही किया जाये।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाली सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों की कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाये।

11. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न किये जायें।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र अवश्य अंकित किया जाये।

13. वांछित डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र छह माह के अंदर समर्पित किया जाये।

14. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाये।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0प्र0अ0-01-68/2011(खंड-III)गृ0आ0.....³⁷⁸.....पटना, दिनांक 18/11/16


प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0प्र0अ0-01-68/2011(खंड-III)गृ0आ0.....³⁷⁸.....पटना, दिनांक 18/11/16

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0, प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, दीघा कॉम्प्लेक्स, आशियाना नगर, पटना-25/अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल बलॉक नं0-1, के0रि0पु0 बल परिसर, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 13.11.16

सरकार के प्रधान सचिव